प्रेस प्रकाशनी

संसद का मानसून सत्र, 2011 जोकि सोमवार, 1 अगस्त, 2011 को शुरू हुआ था और गुरूवार, 8 सितंबर, 2011 को समाप्त हो गया। सत्र के दौरान 39 दिनों की अवधि में 26 बैठकें हुईं।

2. सत्र के दौरान वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर लोक सभा द्वारा चर्चा की गई और पारित कर दिए गए। तत्पश्चात, राज्य सभा ने विनियोग विधेयक पर विचार किया और लौटा दिया।

3. लोक सभा में, 'मुद्रास्फीति को रोकने के लिए तत्काल प्रभावशाली कदम उठाए जाएं जिससे आम आदमी को राहत मिलेगी' विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए श्री यशवंत सिन्हा द्वारा किए गए मूल्य वृद्धि संबंधी प्रस्ताव पर चर्चा हुई और बिना मतदान के प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।

4. सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश अर्थात भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2011 को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया। एक अन्य अध्यादेश अर्थात भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम अध्यादेश, 2011, जोकि राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया, संसद के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका।

5. लोक सभा में नियम 193 के अंतर्गत पांच अल्पकालिक चर्चा हुईं (i) राष्ट्रमंडल खेल, 2010; (ii) श्रीलंका में तमिलों की सहायता और पुनर्वास; (iii) लोकपाल की स्थापना और दिल्ली में दिनांक 16.08.2011 को हुई कुछ घटनाएं; (iv) देश में व्यापक भ्रष्टाचार; और (v) लोकपाल की स्थापना से संबंधित मुद्दे।

6. राज्य सभा में नियम 176 के अंतर्गत चार अल्पकालिक चर्चा हुईं (i) देश में आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं; (ii) राष्ट्रमंडल खेल, 2010; (iii) देश में भ्रष्टाचार के बढ़ते मामले; और (iv) श्रीलंका में तमिलों को पेश आ रही समस्याएं। इसके अतिरिक्त लोकपाल की स्थापना पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांगे गए।

7. इसके अतिरिक्त, लोक सभा में 2 और राज्य सभा में 1 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। लोक सभा और राज्य सभा प्रत्येक में एक-एक आधे घंटे की चर्चा हुईं।

8. सत्र के दौरान, 14 विधेयक (लोक सभा में 11 और राज्य सभा में 3) पुर:स्थापित किए गए। सत्र के दौरान लोक सभा ने 13 विधेयक और राज्य सभा ने 09 विधेयक पारित किए। सत्र के दौरान पुर:स्थापित, विचार और पारित किए गए विधेयकों के नामों की सूची संलग्न है।

<u>अनुलग्नक</u>

पंद्रहवी लोक सभा के 8वें सत्र और राज्य सभा के 223वें सत्र (मानसून सत्र, 2011) के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I - <u>लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक</u>

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2011
2. लोकपाल विधेयक, 2011
3. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011
4. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2011
5. दामोदर घाटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2011
6. सीमाशुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011
7. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक, 2011
8. राष्ट्रीय शैक्षिक निक्षेपागार विधेयक, 2011
9. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन संबंधी विधेयक, 2011
10. परमाणु सुरक्षा विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2011
11. स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2011

II - <u>लोक सभा द्वारा पारित विधेयक</u>

1. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2011
2. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009
3. मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2009
4. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2010
5. सीमाशुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011
6. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2011
7. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2011
8. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम विधेयक, 2011
9. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2011
10. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2011
11. वैज्ञानिक और नवीन अनुसंधान अकादमी विधेयक, 2010
12. उड़ीसा (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2011
13. संविधान (एक सौ तेरहवां संशोधन) विधेयक, 2011

III – राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक

1. अंतर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्तें) विधेयक, 2011
2. सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक, 2011
3. महाप्रशासक (संशोधन) विधेयक, 2011

IV - राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक

1. जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2010
2. विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2011
3. सिक्का निर्माण विधेयक, 2011
4. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2010
5. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2010
6. भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2011
7. मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2011
8. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2011
9. सीमाशुल्क (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2011

****